Degree-1st Paper-II

बिहार में पंचायती राज की संरचना (Structure of Panchayati Raj in Bihar)

केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के आधार पर अब सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की संरचना में काफी समानता देखने को मिलती है। पंचायतों का संगठन ग्राम स्तर प्रखण्ड (क्षेत्र) स्तर तथा जिला स्तर पर किया जाता है। विभिन्न राज्यों में इनके नामों में कुछ भिन्नता है, लेकिन उनका कार्यप्रणाली और अधिकार लगभग एक जैसी है।

ग्राम पंचायत तीन स्तरों पर विभाजित है जिन्हें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत (ग्राम कचहरी कहा जाता है। एक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आने वाले सभी लोग गाँव सभा के सदस्य होते हैं। गाँव सभा जिस कार्यकारणी के द्वारा काम करती है, उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को गाँव सभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार कम से कम 9 और अधिक से अधिक 15 तक हो सकती है। ग्राम पंचायत के सभी सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपमुखिया के रूप में निर्वाचित कर लेते हैं। पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सभी कार्यों को करना ग्राम पंचायत का ही दायित्व है।

Created By Sign Doc

न्याय पंचायत (ग्राम कचहरी) – जिसका काम ग्रामीणों के मामूली विवादों का निपटारा करके उन्हें शीघ्र और सस्ता न्याय देना है। एक न्याय पंचायत के लिये जिन पंचों को निर्वाचित किया जाता है, वे अपने में से एक को सहायक सरपंच के रूप में निर्वाचित कर लेते हैं। जबकि सरपंच निर्वाचित व्यक्ति होता है। किसी भी मामले की सुनवाई के लिए सरपंच द्वारा तीन से लेकर पाँच पंचों तक की एक बेन्च का गठन किया जाता है जो उस मामले पर अपना निर्णय देती है।

<u>प्रखण्ड समिति</u> (क्षेत्र पंचायत) पंचायती राज व्यवस्था की दूसरी प्रमुख इकाई है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर प्रत्येक जिला अनेक क्षेत्रों या ब्लाकों में विभाजित होता है। एक ब्लाक में आने वाली सभी पंचायत समिति सदस्य 'प्रमुख' का निर्वाचित करते हैं। पंचायत समिति का कार्य संबन्धित ग्राम पंचायत के कार्य की निगरानी करना, विकास के लिए उन्हें आवश्यक सुझाव देना और अपने क्षेत्र के आवश्यकताओं के अनुसार सरकार से अनुदान प्राप्त करके उनके अधिकांश हिस्से का वितरण ग्राम पंचायतों के लिए करना है। यह कार्य पंचायत समिति चार स्थायी समितियों द्वारा करती है जिन्हें कार्य समिति, वित्त और विकास समिति, शिक्षा समिति तथा समता समिति कहा जाता है।

Created By Sign Doc